न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–76/2023

राज्य

बनाम्

विनित कुमार

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 1278/एम0 दिनांक 28.12.2022 एवं पत्रांक 666/एम0 दिनांक 05.06.2023 से बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–232/2022 दिनांक–13.12.2022 में कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन, व्यापार हेतु परिवहन करने के मामले में जप्त हाईवा रजि0–0D09P-3445 एवं उसमें लदे करीब–22.00 टन कोयला का राजसात के लिए प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–232/2022 दिनांक–13.12.2022 में कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन, व्यापार हेतु परिवहन करने के मामले में जप्त हाईवा रजि0–0D09P-3445 के वाहन मालिक द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 9 (i) No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS Portel. का उल्लंघन करते हुए परिवहन का कार्य किया गया है एवं नियम 11(V) में वर्णित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उक्त आलोक में बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–232/2022 दिनांक–13.12.2022 में कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन, व्यापार हेतु परिवहन करने के मामले में जप्त हाईवा रजि0–0D09P-3445 एवं उसमें लदे करीब–22.00 टन कोयला को राजसात करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के

पश्चात् विभिन्न तिथियों में उपस्थित होकर विपक्षी द्वारा स्वयं एवं अधिवक्ता के माध्यम से बचाव पक्ष रखा गया।

विपक्षी के अधिवक्ता का कथन है कि जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–232/2022, दिनांक 13.12.2022 में जप्त हाईवा रजि0 नं0–OD09P-3445 के आलोक में राजसात हेतु प्रारम्भ प्रक्रिया जो बिल्कुल गलत एवं सत्य से परे है। बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–232/2022 के अनुसंधानकर्ता द्वारा काण्ड दैनिकी संख्या की पारा–79 में वर्णित R-34/2023 दिनांक 21.04.2023 में स्पष्ट विवरणी है कि दिनांक 12.12.2022 को गाड़ी संख्या–OD09P-3445 चौदह चक्का हाईवा पर 21,400 कि0ग्रा0 रिजेक्टेड कोल लोड हुआ था जो हातिम अंसारी, ग्राम–कुरसे, हेसला लोहरदगा के लिए गया था, जिसका टैक्स चालान नं0–05 है, जो कि सही और सत्य है। उक्त रिजेक्टेड M/S महावीर इण्टरप्राईजेज N.H.-20 चरही हजारीबाग झारखण्ड से सत्यापित है, जिसे अनुसंधानकर्ता के द्वारा जांच प्रतिलिपि प्राप्त की गई है। ऐसी परिस्थिति में राजसात की कार्रवाई जप्त हाईवा पर जारी रखना सही नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के द्वारा जप्त हाईवा का मालिक सह–विपक्षी जमानत पर मुक्त किया जा चूका है एवं जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा राजसात की कार्रवाई का निवेदन न्याय हित में उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के क्रिमिनिल रिवीजन नं0–862/2020 (नविन कुमार चौधरी बनाम् झारखण्ड राज्य) में दिनांक 03.03.2021 को आदेश पारित किया गया है कि (4–A) Any Mineral, tools equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the direction of such court. उक्त वाद से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय NCT Delhi बनाम् संजय, 2014 (a) SSC पेज नं0–772 में भी पारित आदेश के अनुसार जप्त वाहन का मुक्ति हेतु संज्ञान लेने वाली कोर्ट को ही शक्ति प्राप्त है, इस प्रकार धारा–173(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधिन किसी न्यायिक दण्डाधिकारी को ही संज्ञान लेने शक्ति प्राप्त है ऐसी परिस्थिति में अधिहरण का वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। उक्त आलोक में वाद को खारिज करते हुए जप्त वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तर्कों एवं अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि हाईवा रजि0 नं0–OD09P-3445 को कोयला परिवहन करते बालूमाथ थाना द्वारा दिनांक–13.12.2022 को पकड़े जाने के समय कोई वैध चालान/कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। वाहन मालिक द्वारा बाद में M/S महावीर इण्टरप्राईजेज N.H.20 चरही हजारीबाग, झारखण्ड

का Tax Invoice की प्रति अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप उक्त Tax Invoice की प्रविष्टि अन्वेषण का अभिलेख में दिनांक 06.04.2023 को काण्ड दैनिकी संख्या–73 में की गयी है।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 13(i) Any person, who contravenes any of the provision of these rules, or buys or sells or stores minerals except under and in accordance with the terms and conditions of dealers registration or who transports the minerals except as mentioned in the transport challan or transport minerals without transport challan shall be punishable as per provision made under JMMC Rule, 2004 and as amended from time to time.

झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 54(5) यदि किसी वाहन का कोई चालक लघु खनिज को परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' अथवा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत फार्म 'डी' में परिवहन चालान दिखाने में असफल रहता है तो उसे अधिकतम 01 वर्ष की कैद अथवा खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दण्ड अथवा दोनों एक साथ दण्ड दिया जा सकता है।

अतः दिनांक–13.12.2022 को अवैध कोयला परिवहन करते पकड़े गये हाईवा रजि0 नं0–OD09P-3445 एवं उसपर लदे 22.00 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जप्त कोयला एवं वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:31:14 +05:30
Location: 192.168.5.143